Rule 42 : Manner of determination of input tax credit in respect of inputs or input services and reversal thereof

(1) The input tax credit in respect of inputs or input services, which attract the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) of section 17, being partly used for the purposes of business and partly for other purposes, or partly used for effecting taxable supplies including zero rated supplies and partly for effecting exempt supplies, shall be attributed to the purposes of business or for effecting taxable supplies in the following manner, namely,-

(a) the total input tax involved on inputs and input services in a tax period, be denoted as 'T';

(b) the amount of input tax, out of 'T', attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for purposes other than business, be denoted as 'T_1';

(c) the amount of input tax, out of 'T', attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for effecting exempt supplies, be denoted as 'T_2';

(d) the amount of input tax, out of 'T', in respect of inputs and input services on which credit is not available under sub-section (5) of section 17, be denoted as 'T_3';

(e) the amount of input tax credit credited to the electronic credit ledger of registered person, be denoted as 'C_1' and calculated as—

$$C_1 = T - (T_1+T_2+T_3);$$

(f) the amount of input tax credit attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted but including zero rated supplies, be denoted as 'T_4';

[1]**[Explanation**—For the purpose of this clause, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the said Act, value of T_4 shall be zero during the construction phase because inputs and input services will be commonly used for construction of apartments booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier, and those which are not booked by the said date.**]**

---

1 Explanation inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

(g) 'T_1', 'T_2', 'T_3' and 'T_4' shall be determined and declared by the registered person **[2][****]** [3]**[**at summary level in **FORM GSTR-3B]**;

(h) input tax credit left after attribution of input tax credit under clause [4]**[**(f)**]** shall be called common credit, be denoted as 'C_2' and calculated as:

$$C_2 = C_1 - T_4;$$

(i) the amount of input tax credit attributable towards exempt supplies, be denoted as 'D_1' and calculated as–

$$D_1 = (E \div F) \times C_2$$

where,

***'E'** is the aggregate value of exempt supplies during the tax period, and*

***'F'** is the total turnover in the State of the registered person during the tax period:*

[5]**[Provided** that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the Act, the value of "E/F" for a tax period shall be calculated for each project separately, taking value of E and F as under:-

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but are identified by the promoter to be sold after issue of completion certificate or first occupation, whichever is earlier;

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

Explanation 1.—In the tax period in which the issuance of completion certificate or first occupation of the project takes

---

2 The words "at the invoice level in **FORM GSTR-2** [A][and" omitted by Noti. No. 19/2022 - Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

A. Inserted by Noti. No. 16/2019 – Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f . 01-04-2019.

3 Inserted by Noti. No. 16/2019 – Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f 01-04-2019.

4 Substituted for "(g)" by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

5 Proviso along with explanation inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

place, value of E shall also include aggregate carpet area of the apartments, which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier;

Explanation 2.—Carpet area of apartments, tax on construction of which is paid or payable at the rates specified for items (i), (ia), (ib), (ic) or (id), against serial number 3 of the Table in the notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 28th June, 2017 vide GSR number 690(E) dated 28th June, 2017, as amended, shall be taken into account for calculation of value of "E" in view of Explanation (iv) in paragraph 4 of the notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 28th June, 2017 vide G.S.R No. 690(E) dated 28th June, 2017, as amended.**]**

[6]**[Provided further]** that where the registered person does not have any turnover during the said tax period or the aforesaid information is not available, the value of 'E/F' shall be calculated by taking values of 'E' and 'F' of the last tax period for which details of such turnover are available, previous to the month during which the said value of 'E/F' is to calculated;

Explanation—For the purposes of this clause, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies and total turnover shall exclude the amount of any duty or tax levied under entry 84 [7]**[**and entry 92A**]** of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule;

(j) the amount of credit attributable to non-business purposes if common inputs and input services are used partly for business and partly for non-business purposes, be denoted as 'D_2', and shall be equal to five per cent. of C_2; and

(k) the remainder of the common credit shall be the eligible input tax credit attributed to the purposes of business and for effecting supplies other than exempted supplies but including zero rated supplies and shall be denoted as 'C_3', where,-

---

6 Substituted for "Provided" by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

7 Inserted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

$$C_3 = C_2 - (D_1+D_2);$$

[8]**[(l)** the amount "C_3" "D_1" and "D_2" shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03;]**

(m) the amount equal to aggregate of 'D_1' and 'D_2' shall be [9]**[**reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03]:**

Provided that where the amount of input tax relating to inputs or input services used partly for the purposes other than business and partly for effecting exempt supplies has been identified and segregated at the invoice level by the registered person, the same shall be included in 'T_1' and 'T_2' respectively, and the remaining amount of credit on such inputs or input services shall be included in 'T_4'.

(2) [10]**[**Except in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the input tax credit**]** determined under sub-rule (1) shall be calculated finally for the financial year before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of the financial year to which such credit relates, in the manner prescribed in the said sub-rule and—

(a) where the aggregate of the amounts calculated finally in respect of 'D_1' and 'D_2' exceeds the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of 'D_1' and 'D_2', such excess shall be [11]**[**reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03]** in the month not later than the month of September following the end of the financial year to which such credit relates and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in

---

8 Clause (l) substituted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f 01-04-2019. Earlier to substitution it read as under:

"**(l)** the amount 'C_3' shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax;"

9 Substituted for "added to the output tax liability of the registered person" by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

10 Substituted for "The input tax credit" by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

11 Substituted for "added to the output tax liability of the registered person" by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

sub-section (1) of section 50 for the period starting from first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or

(b) where the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of 'D_1' and 'D_2' exceeds the aggregate of the amounts calculated finally in respect of 'D_1' and 'D_2', such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year to which such credit relates.

[12]**[(3)** In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the input tax determined under sub-rule (1) shall be calculated finally, for each ongoing project or project which commences on or after 1st April, 2019, which did not undergo or did not require transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019 in accordance with notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published vide GSR No. 690(E) dated the 28th June, 2017, as amended for the entire period from the commencement of the project or 1st July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project, in the manner prescribed in the said sub-rule, with the modification that value of E/F shall be calculated taking value of E and F as under:

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier:

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

and,-

(a) where the aggregate of the amounts calculated finally in respect of "D_1" and "D_2" exceeds the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of "D1" and "D2", such excess shall be reversed by the registered person in **FORM**

12 Sub-rule (3), (4), (5) and (6) inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

GSTR-3B or through **FORM GST DRC-03** in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation of the project takes place and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or

(b) where the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of "D1" and "D2" exceeds the aggregate of the amounts calculated finally in respect of "D1" and "D2", such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.

(4) In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the Act, the input tax determined under sub-rule (1) shall be calculated finally, for commercial portion in each project, other than residential real estate project (RREP), which underwent transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on the 1st April, 2019 in accordance with notification No. 11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published *vide* GSR No. 690(E) dated the 28th June, 2017, as amended for the entire period from the commencement of the project or 1st July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project, in the following manner,—

(a) The aggregate amount of common credit on commercial portion in the project ($C_{3aggregate_comm}$) shall be calculated as under,

$C_{3aggregate_comm}$ =[aggregate of amounts of C_3 determined under sub-rule (1) for the tax periods starting from 1st July, 2017 to 31st March, 2019, x (A_C / A_T)] + [aggregate of amounts of C_3 determined under sub-rule (1)for the tax periods starting from 1st April, 2019 to the date of completion or first occupation of the project, whichever is earlier]

Where, -

A_C = total carpet area of the commercial apartments in the project

A_T = total carpet area of all apartments in the project

(b) The amount of final eligible common credit on commercial portion in the project (C_{3final_comm}) shall be calculated as under

$C_{3final_comm} = C_{3aggregate_comm} \times (E/F)$

Where, -

E = total carpet area of commercial apartments which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier.

F = A_C = total carpet area of the commercial apartments in the project

(c) where, $C_{3aggregate_comm}$ exceeds C_{3final_comm}, such excess shall be reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03** in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment;

(d) where, C_{3final_comm} exceeds $C_{3aggregate_comm}$, such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.

(5) Input tax determined under sub-rule (1) shall not be required to be calculated finally on completion or first occupation of an RREP which underwent transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019 in accordance with notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published *vide* GSR No. 690(E) dated the 28th June, 2017, as amended.

(6) Where any input or input service are used for more than one project, input tax credit with respect to such input or input service shall be assigned to each project on a reasonable basis and credit reversal pertaining to each project shall be carried out as per sub-rule (3).**]**

नियम 42 : इनपुटों या इनपुट सेवाओं और उनके विपर्यय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति

(1) ऐसे इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का, जिन्हें धारा 17 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका भागतः उपयोग कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया है और भागतः अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या जिनका भागतः उपयोग कराधेय प्रदायों को, जिनके अंतर्गत शून्य दर प्रदाय भी हैं, प्रभाव देने के लिए और भागतः छूट प्राप्त प्रदायों को प्रभाव देने के लिए किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित रीति से कारबार के प्रयोजन के लिए या प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निर्धारित होगा, अर्थात्,–

(क) किसी कर अवधि में इनपुटों और इनपुट सेवाओं में अंतर्वलित कुल इनपुट कर 'टी' के रूप में द्योतक होगा;

(ख) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, $टी_1$' के रूप में द्योतक होगी;

(ग) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो प्रभाविट छूट प्राप्त प्रदायों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, '$टी_2$' के रूप में द्योतक होगी;

(घ) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं के संबंध में, जिन पर धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यय उपलब्ध नहीं है, '$टी_3$' के रूप में द्योतक होगी;

(ड.) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'सी' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,–

$$सी_1 = टी - (टी_1 + टी_2 + टी_3);$$

(च) छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न, किंतु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनुपटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम '$टी_4$' के रूप में द्योतक होगी;

[1][**स्पष्टीकरण**–इस उपवाक्य के उद्देश्य के लिये एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, T_4 का मूल्य निर्माण के चरण के दौरान शून्य होगा क्योंकि जो अपार्टमेंट, पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तारीख या प्रोजेक्ट के प्रथम कब्जे की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, या उसके पहले बुक किये गये हों और जो उक्त तारीख तक बुक न किये गये हो, के निर्माण में इनपुट और इनपुट सेवाओं का प्रयोग एक ही प्रकार का होगा।]

1 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

(छ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, 'टी$_1$', 'टी$_2$', 'टी$_3$' और 'टी$_4$' का अवधारणा और उसकी घोषणा [2]**[......]** [3]**[प्ररूप जीएसटीआर–3ख** के सारांश स्तर पर**]** में बीजक स्तर पर की जाएगी ;

(ज) खंड [4]**[**(च)**]** के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के निर्धारण के पश्चात् बचे हुए इनपुट कर प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा, जो 'सी$_2$' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,–

सी$_2$ = सी$_1$ – टी$_4$;

(झ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय कर रकम 'डी$_1$' के रूप में द्योतक होगी और और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,–

डी$_1$ = (ई ÷ एफ) x सी$_2$;

जहां,

'**इ**', कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य है, और

'**एफ**', रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के राज्य में कर अवधि के दौरान कुल आवर्त है :

[5]**[**बशर्तें कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, किसी कर अवधि के लिए "E/F" के मूल्य की गणना निम्नानुसार E और F के मूल्य लेते हुए प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग–अलग की जाएगी:-

E = अपार्टमेंट्स का समग्र कालीन क्षेत्र, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के कर जमा समय कालीन क्षेत्र से मुक्त है, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है, लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र या पहले कब्जे, जो भी पहले हो, के मुद्दे के बाद बेचे जाने वाले प्रमोटर द्वारा पहचान किया गया हो;

F = प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स का कुल कालीन क्षेत्र;

स्पष्टीकरण 1.—कर अवधि, जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना या प्रोजेक्ट का पहला व्यवसाय होता है, में, E के मूल्य में अपार्टमेंट्स, जो कि पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे, जो भी पहले हो, की तारीख तक बुक नहीं किए गए है, का कुल कालीन क्षेत्र भी शामिल होगा;

---

2 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्दों, अक्षरों और अंक **''प्ररूप जीएसटीआर–2** [A][और'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

A. अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

4 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा ''(छ)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

5 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा परंतुक स्पष्टीकरण सहित अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

स्पष्टीकरण 2.—अधिसूचना सं. 11/2017– केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का. नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के पैराग्राफ 4 के स्पष्टीकरण (iv) की दृष्टि से ''E'' के मूल्य की गणना में उस अपार्टमेंट्स के कार्पेट एरिया को भी शामिल किया जाएगा जिसके निर्माण पर अधिसूचना सं. 11/2017–केन्द्रीय कर (दर), यथा संशोधित, जिसे सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, की सारणी के क्रम में सं. 3 के समक्ष के मद (i), (ia), (ib), (ic), या (id) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना चाहिए।

[6]**[बशर्ते और आगे]** जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्वोक्त सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास के पूर्व की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, ऐसी अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है, ''ई'' और ''एफ''के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य और कुल आवर्त को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 [7][और प्रविष्टि 92क] और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत शुल्क या कर की रकम में से अपवर्जित किया जाएगा;

(ञ) गैर कारबार प्रयोजनों के लिए, निर्धारणीय प्रत्यय की रकम को, यदि सामान्य इनपुटों और इनपुट सेवाओं का उपयोग भागतः कारबार के लिए और भागतः गैर कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, 'डी$_2$' के रूप में द्योतक होगी और 'सी$_2$' के पांच प्रतिशत के बराबर होगी;

(ट) शेष सामान्य कर प्रत्यय कारबार के प्रयाजनों के लिए और छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न प्रभावित प्रदायों के लिए, किन्तु इसमें शून्य दर प्रदाय सम्मिलित हैं, निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपयुक्त होगा और 'सी$_3$' के रूप में द्योतक होगा, जहां,—

$$\text{सी}_3 = \text{सी}_2 - (\text{डी}_1 + \text{डी}_2);$$

[8][(ठ) 'सी$_3$', 'डी$_1$' और 'डी$_2$' राशि की केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग से गणना की जाएगी और **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में घोषणा या **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से की जाएगी;

---

6 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा ''परन्तु'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

7 अधिसूचना क्रमांक 03/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

8 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा खंड (ठ) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था–

''(ठ) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए रकम 'सी$_3$' की संगणना पृथक् रूप से की जाएगी;''

(ड.) 'डी1' और 'डी2' के योग के बराबर रकम को [9]**[प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में घोषणा या **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित**]**

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जहां इनपुटों और इनपुट सेवाओं से संबंधित इनपुट कर की रकम की, जिसका भागतः उपयोग कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है और भागतः उपयोग प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए किया गया है, पहचान कर ली गई है और बीजक स्तर पर उसे पृथक् कर दिया गया है, वहां उसे क्रमशः '$टी_1$' और '$टी_2$' में सम्मिलित किया जाएगा और ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर प्रत्यय की शेष रकम को '$टी_4$' में सम्मिलित किया जाएगा।

(2) किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपनियम (1) के अधीन अवधारित [10][उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले को छोड़कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट] की अंतिम रूप में संगणना, उस वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा कर प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास में विवरणी देने के लिए देय तारीख से पूर्व उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी, और,–

(क) जहां '$डी_1$' और '$डी_2$' के संबंध में, अंतिम रूप से संगणित रकमें, '$डी_1$' और '$डी_2$' के संबंध में उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमों से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की, उस मास में [11][**प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में घोषणा या **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित], जो ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितम्बर मास के अपश्चात् है, और उक्त व्यक्ति, उक्त आधिक्य रकम पर, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की एक अप्रैल से आरंभ होने वाली संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा; और

(ख) जहां '$डी_1$' और '$डी_2$' के संबंध में, उपनियम (1) अधीन अवधारित संकलित रकमें, '$डी_1$' और '$डी_2$' के संबंध में अंतिम रूप से संगणित रकमों से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास के अपश्चात् किसी मास के लिए उसकी विवरणी में ऐसी आधिक्य रकम का दावा प्रत्यय के रूप में किया जाएगा।

[12]**[(3)** उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, उप–नियम (1) के तहत् निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम

---

9 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा ''रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

10 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा ''इनपुट कर प्रत्यय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

11 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा ''के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

12 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा उपनियम (3), (4), (5) और (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

गणना की जाएगी, ऐसी प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं. 11/2017–केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बदलाव नहीं आया है 1 जुलाई, 2017 या प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि, जो भी बाद में है, से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे की तिथि, जो भी पहले हो, उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या प्रोजेक्ट का पहले कब्जा लिया गया हो, के अग्रिम वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक, उक्त उप–नियम के अनुरूप है की जाएगी, इस संशोधन के साथ कि E/F के मूल्य की गणना निम्नलिखित E और F के मान से की जाएगी :

E = अपार्टमेंट का एग्रीगेट कार्पेट एरिया, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के टैक्स प्लस एग्रीगेट कार्पेट एरिया से छूट देता है, जिसका निर्माण टैक्स से छूट नहीं है, लेकिन जिसे पूरा होने के प्रमाण पत्र या पहले कब्जे के जारी होने की तारीख तक बुक नहीं किया गया है प्रोजेक्ट, का, जो भी पहले हो;

F = प्रोजेक्ट से अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र;

तथा,–

(क) जहां 'D_1' और 'D_2' के संबंध में अंत में गणना की गई राशियों का कुल योग 'D_1' और 'D_2' के संबंध में उप–नियम (1) के तहत् निर्धारित राशियों के कुल योग से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी कियाा जाता है या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक, **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में घोषणा या **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित किया जाना है, और उक्त व्यक्ति धारा 50 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से भुगतान की तारीख तक; या

(ख) जहां 'D_1' और 'D_2' के संबंध में उप–नियम (1) के तहत् निर्धारित राशि का कुल योग 'D_1' और 'D_2' के संबंध में अंतिम गणना से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक के रिटर्न में किया जायेगा।

(4) अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, उप–नियम (1) के तहत् निर्धारित इनपुट टैक्स की अंतिम गणना आवासीय अचल संपत्ति के अलावा प्रत्येक प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक भाग के लिए की जाएगी, जिनमें 1 अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों में परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं. 11/2017–केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बदलाव आया है, 1 जुलाई, 2017, या प्रोजेक्ट के शुरू होने की तिथि, जो भी बाद में है, से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने या पहले कब्जे की तिथि, जो भी पहले हो उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा लिया गया हो, के अग्रिम वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक, निम्नलिखित तरीके से की जाएगी,–

(क) प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक हिस्से पर समान क्रेडिट की कुल राशि ($C_{3aggregate_comm}$) की गणना निम्नानुसार की जाएगी,

($C_{3aggregate_comm}$) = [उप–नियम (1) के तहत् C_3 की राशियों की कुल राशि 1 जुलाई, 2017 से शुरू होकर 31 मार्च, 2019 तक के लिए x (A_C/A_T)] + [उप–नियम (1) के तहत् निर्धारित C_3 की राशियों की कुल राशि जो कि 1 अप्रैल, 2019 से लेकर प्रोजेक्ट के पूरा होने तक अथवा प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक, जो भी पहले हो]

जहां,–

A_C = प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

A_T = प्रोजेक्ट में सभी अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

(ख) प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक हिस्से पर अंतिम पात्र आम क्रेडिट की राशि (C_{3final_comm}) की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

$C_{3final_comm} = C_{3aggregate_comm} \times (E/F)$

जहां,–

E = वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र जो पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख तक बुक नहीं किया गया है, जो भी पहले हो।

F = A_C = प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कालीन क्षेत्र

(ग) जहां $C_{3aggregate_comm}$, C_{3final_comm} से अधिक है, इस तरह की अधिकता वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर माह में, **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में घोषणा या **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्क्रमित किया जाना है, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है या पहला कब्जा हो। प्रोजेक्ट का स्थान लेता है और उक्त व्यक्ति, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से लेकर भुगतान की तारीख के लिए धारा 50 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) जहां, C_{3final_comm}, $C_{3aggregate_comm}$ से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में उस वित्तीय वर्ष, जिसमें पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता ह ै या प्रोजेक्ट का पहला कब्जा होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के महीने तक के रिर्टन में किया जायेगा।

(5) उप–नियम (1) के तहत् निर्धारण इनपुट टैक्स की अंतिम गणना उन आरआईपी के पूरा होने या पहले कब्जे पर, जिनमें 1 अप्रैल, 2019 के हुए कर में दरों में परिवर्तन के कारण, अधिसूचना सं. 11/2017–केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बदलाव आया है, करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(6) जहां किसी भी इनपुट या इनपुट सेवा का उपयोग एक से अधिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, ऐसे इनपुट या इनपुट सेवा के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक प्रोजेक्ट को

उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और उप–नियम (3) के अनुसार प्रत्येक प्रोजेक्ट से संबंधित क्रेडिट उत्क्रमण किया जाएगा।]